UPKJ010020312026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–747/2026

1.जगदम्बा प्रसाद पुत्र सैतावन लाल
2.जीतू उर्फ़ जितेन्द्र पुत्र जगदम्बा प्रसाद
निवासीगण बढौरा थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

प्रति

उ०प्र० राज्य **.....अभियोजनपक्ष।**

एवं

UPKJ010020532026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–756/2026

रामनरेश पुत्र शोभाराम निवासी बढौरा थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य **.....अभियोजनपक्ष।**

दिनांक 04.06.2026

जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण

मुकदमा अपराध संख्या–237/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),121(1), 121(2),132,191(2),191(3),221,351(3) व 55 BNS व धारा 7CLA Act थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज में आवेदकगण/अभियुक्तगण **जगदम्बा प्रसाद** एवं **जीतू उर्फ़ जितेन्द्र** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–747/2026 एवं आवेदक/अभियुक्त **रामनरेश** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–756/2026 उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र एक ही घटना एवं अपराध से सम्बन्धित है। अतः उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 747/2026 को अग्रणी जमानत प्रार्थना पत्र निर्धारित करते हुए उसी पर आदेश पारित किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/आरक्षी हरिओम थाना पनकी ने एक तहरीर थाना गुरसहायगंज में इस आशय की प्रस्तुत की कि वह अपने चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक दिवाकर पाण्डेय, मुख्य आरक्षी सैय्यद मोहम्मद इमरान स्वाट टीम डी.सी.पी. पश्चिमी कानपुर नगर व अवधेश कुमार स्वाट टीम डी.सी.पी. पश्चिमी कानपुर नगर थाना पनकी से अपराध संख्या 178/2026 व धारा 303 (2) BNS से संबंधित माल मुल्जिम की तलाश में मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन संख्या UP78GD3292 से ग्राम बढौरा थाना गुरसहायगंज आया और पतारसी सुरागरसी करने पर संदिग्ध व्यक्ति राजीव

कुमार उर्फ़ दीपू पुत्र स्वर्गीय ध्यान सिंह, निवासी सूरजपुर थाना ऐरवा कटरा जनपद औरेया मिला,जिससे चौकी प्रभारी दिवाकर पाण्डेय व स्वाट टीम पूछतांछ करने लगी, जिस पर राजीव कुमार उर्फ़ दीपू ने अपने साथियों संदीप कुमार, बृजेश कुमार, रामनरेश, जगदम्बा, जीतू उर्फ जीतेन्द्र, दिलीप व राघव निवासीगण ग्राम बढौरा को बुला लिया। राजीव कुमार मौके पर सबको नाम से पुकारते हुए पुलिस बल को जान से मार डालने के लिए उकसाने लगा, जिस पर सभी लोगों ने समान आशय से अपने हाथों में लिए लाठियों से पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से एक साथ हमला कर दिया, जिससे वे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चौकी प्रभारी दिवाकर पाण्डेय मौके पर ही आई चोटों के कारण बेहोश हो गए, जिससे मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। चौकी प्रभारी को मृत जानकारी अभियुक्तगण जाते–जाते धमकी दे गए कि गाँव में दोबारा मत आना। पुलिस बल चोटिल अवस्था में चौकी प्रभारी को बेहोशी की हालत में अपने वाहन से सी.एच.सी. गुरसहायगंज ले गए। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की याचना की गई ।

वादी की तहरीर के आधार पर उपरोक्त अपराध संख्या पर उपरोक्त धाराओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्तमान अभियुक्तगण सहित आठ लोगों के विरूद्ध दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना प्रचलित है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि उन्हें उक्त प्रकरण में गलत व झूठा फँसाया गया है। उन्होंने उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई जुर्म नहीं किया है। उनके कब्ज़े से कोई लाठी या डण्डा आदि बरामद नहीं हुआ है। जिस समय की घटना बताई जाती है, उस समय वे अपने घर पर थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी का विशिष्ट कृत्य नहीं बताया गया है। वादीपक्ष से किसी को कोई गंभीर चोट आना नहीं बताया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे दिनांक 27.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गई है।

ज़िला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ वादीपक्ष/पुलिसबल को सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाते हुए जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डों से मारपीट कर चोटें पहुँचाई है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर सहअभियुक्तगण के साथ अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादीपक्ष अर्थात पुलिस बल लोक सेवक को सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाते हुए जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डों से हमला करके चोटें पहुँचाने, जिससे घटना स्थल पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया, का आरोप है। प्रकरण में तीन पुलिस कर्मी घायल होना बताया गया है। केस डायरी में संलग्न चिकित्सीय आख्या के अनुसार मजरूब वादी मुकदमा **आरक्षी हरिओम** के शरीर पर बाएं के कोहनी के जोड़ पर नीलगू निशान, मजरूब **अवधेश कुमार** के शरीर पर तीन नीलगू निशान की चोटें, जिनमें एक कंधे व दो पीठ की हड्डियों में पाई गई है। तीसरे मजरूब मुख्य आरक्षी **सैय्यद मोहम्मद इमरान** के तीन नीलगू निशान की चोट जिनमें एक बायीं आँख , एक कान के पिन्ना में व एक बाएं घुटने पर पाई गई है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत घटना लोक सेवकों द्वारा विधि सम्मत कर्तव्य निर्वहन के दौरान घटित हुई तथा अभियुक्तगण द्वारा सामूहिक रूप से बल प्रयोग किया गया। अभियोजन की ओर से यद्यपि अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है, किन्तु जमानत पर विचार करते समय अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, घटना की परिस्थितियाँ तथा समाज एवं न्याय प्रशासन पर उसके प्रभाव को भी दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में आरोप केवल साधारण मारपीट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पुलिस बल पर सामूहिक हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने तथा लोक सेवकों को भयभीत एवं

हतोत्साहित करने से सम्बन्धित हैं। इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना उचित नहीं है, तथापि उपलब्ध सामग्री से अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रथमदृष्टया परिलक्षित होती है। मामले की विवेचना प्रचलित है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना न्यायालय की राय में अभियुक्तगण की जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–237/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),121(1), 121(2),132,191(2),191(3),221,351(3) व 55 BNS व धारा 7CLA Act थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज में आवेदकगण/अभियुक्तगण **जगदम्बा** एवं **जीतू उर्फ़ जितेन्द्र** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–747/2026 एवं आवेदक/अभियुक्त **रामनरेश** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–756/2026 निरस्त किए जाते हैं।

जमानत आदेश की एक प्रति **जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–756/2026** पर रखी जाए।

(ममता सिंह)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
कन्नौज।
ID No. UP6337